बनाम पावर ग्रिड कॉ. लि. अजिनतपाल

मुकदमा R.T. नं. 24 / 2017 सन्

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 6.3.17 | प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये वकील अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावें । अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जावें । मिसल दिनांक 7.4.17 को पेश हो । <br> सहायक कलेक्टर <br> बाप (जि. जोधपुर) | |
| 7/4/17 | आज श्रीमान ए.सी.एम. / एस.डी.एम. साहब छुट्टी / अवकाश पर हैं । पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली तारीख 9/4/17 को पेश हो । | अप्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रतीक शर्मा ने मुख्यवाद में वकालतनामा पेश किया / अप्रार्थी की प्राप्ति डाक रसीद प्राप्त हुई। <br> 7/4/17 |
| 9/4/17 | आज श्रीमान ए.सी.एम. / एस.डी.एम. साहब छुट्टी / अवकाश पर हैं । पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली तारीख 15/5/17 को पेश हो । | |
| 15/5/17 | राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर के निर्देशानुसार राजस्व प्रकरणों के निस्तारण किये जाने पत्रावली न्याय आदेश द्वारा ग्राम / केन्द्र ग्रा.पं. बरेली अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 14.6.17 को पेश हो । <br> सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) <br> बाप (जोधपुर) | <br> 19/4/17 |
| 6/7 | पत्रावली सम्बन्ध लोक अदालत आज आयोजित अटल 2017 कैम्प में पेश हुई। प्रार्थी उप. प्रार्थी द्वारा मूल वाद जारी विड्रा खारिज करवा दिये जाने के बाबत प्रार्थना पत्र के अपवादी अपेक्षित दिये जाने के बाबत प्रार्थना पत्र जारी विड्रा नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जारी विड्रा खारिज किया जाता है मिसल डेफड्र हुआ खारिज खारिज पत्रावली नाथ में रख दी जावे। <br> (राजेन्द्र कुमार डांगा) <br> RAS. | |